



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246629
CG-DL-E-16062023-246629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2023/ज्येष्ठ 26, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-77/2015-डीडी/123/2015-डीसी/641/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. बासुदेब मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 053104), 3ए, चौरंगी प्लेस, दूसरा तल, कमरा नंबर 86, कोलकाता 700 013 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. बासुदेब मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 053104) के नाम को 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। तत्पश्चात्, अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल की और अपीलीय प्राधिकरण ने अपील संख्या 01/आईसीएआई/2020, में तारीख 18 अप्रैल, 2023 को दिए गए अपने आदेश में अनुशासन

समिति के आदेश की पुष्टि की। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में, जिसकी पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई है अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अंतर्गत यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. बासुदेब मुखोपाध्याय (सदस्यता संख्या 053104) का नाम, 16 जून, 2023 से 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./195/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-77/2015-DD/123/2015-DC/641/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Basudeb Mukhopadhyay (Membership No. 053104), 3A, Chowringhee Place, 2nd Floor, Room No. 86, KOLKATA 700 013**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7), (8) and (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. Basudeb Mukhopadhyay (Membership No. 053104)** from the Register of Members for a period of 04(Four) years. Thereafter, aggrieved by the Order of the Disciplinary Committee, the Respondent approached the Appellate Authority in terms of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949 and the Appellate Authority in appeal no. 01/ICAI/2020 vide its order pronounced on 18th April, 2023 has upheld the Order of the Disciplinary Committee. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee which is also upheld by the Appellate Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Basudeb Mukhopadhyay (Membership No. 053104)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of **04(Four) years with effect from 16th June, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.
[ADV.T.-III/4/Etxy./195/2023-24]